न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 50-दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 12-12-12 पारित अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ प्रकरण कमांक 18/2012-13 अपील.

1- श्रीमती राजेश्री पत्नी डा. हरिहर यादव
2- हरिहर यादव पुत्र गोबिन्दसिंह यादव
दोनों निवासी पुरानी तहसील के पास
टीकमगढ़, म0प्र0
3- सविता यादव पुत्री गुन्ना यादव (मृत)
नि. लक्ककड़खाना मोहल्ला, टीकमगढ़
उत्तराधिकारी अंजली यादव पुत्री स्व. सविता यादव
पुत्री महेश यादव, नाबालिग व संरक्षक नानी सोना
पत्नी गुन्ना यादव, नि0 लक्ककड़खाना मोहल्ला,
जिला टीकमगढ़,म0प्र0

-- आवेदकगण

विरूध्द

1- श्रीमती हेमलता उपाध्याय पत्नी महेन्द्र कुमार
नि0 ताल दरवाजा ऊपर की सड़क, टीकमगढ़
2 राकेशकुमार यादव पुत्री स्व. गोकुलप्रसाद यादव
3 श्रीमती पिंजी यादव पुत्री स्व. गोकुल प्रसाद यादव
दोनों नि0 सरस्वती स्कूल के पास, नौगॉव,
जिला छतरपुर,म0प्र0
4 - श्रीमती रामाबाई यादव (मृतक) बेवा
गोकुल प्रसाद यादव, नि0 हाल नौगॉव
जिला छतरपुर, म0प्र0

-- अनावेदकगण

श्री के0के0 व्दिवेदी, अभिभाषक -- आवेदकगण
श्री विनोद भार्गवे, अभिभाषक अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 12 . 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ के अपील प्रकरण कमांक 18/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12-12-12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण हेमलता आदि व्दारा तहसीलदार, टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 30–12–2011 से असन्तुष्ट होकर 29–8–12 को अपील आवेदनपत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। विलम्ब को माफ करने हेतु आवेदनपत्र धारा 5 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 12–12–12 व्दारा आवेदनपत्र सदभावनापूर्ण होने से स्वीकार किया है। इस आदेश के विरूध्द यह निगरानी राजस्व मण्डल में आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया। आवेदकगण अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार व्दारा बटवारा आदेश सहमति के आधार पर पारित किया है, इसलिये सहमति आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलन योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि तहसील के बटवारा आदेश की जानकारी अनावेदकगण को तत्समय ही हो गयी थी, किन्तु उनके व्दारा समयावधि मे कोई कार्यवाही नही की गयी। विलम्ब के प्रत्येक दिन का समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब माफ करने में गलती की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकों के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में मुख्य मुद्दा यह प्रस्तुत किया है कि अनावेदक क0–2, 3 उनकी मृत माता अनावेदक क0 4 को बटवारे कार्यवाही की सूचना विधिवत तामील किये बिना ही पीठ–पीछे तहसीलदार व्दारा बटवारा आदेश पारित किया गया है जिसमें बटवारा नियमों का भी पालन नहीं किया गया। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक क0–3 कु. अंजली की संरक्षक महिला सोनाबाई नहीं थी, बल्कि कुत्र अंजली का बली संरक्षक निज पिता महेश यादव है जिसके व्दारा तहसील न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। महेश यादव व्दारा कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष जन सुनवायी में आवेदन पर तहसीलदार टीकमगढ़ व्दारा दिनांक 17–6–2013 को आदेश पारित कर कु. अंजली यादव का बली संरक्षक महेश यादव को नियुक्त किया है तथा मु. सोना यादव व्दारा कुत्र अंजली यादव के अवयस्क भाई अभय यादव को छुपाया गया। तहसीलदार व्दारा सह- खातेदार मृत सविता के पुत्र अभय यादव एवं उसके पति महेश यादव को कोई नोटिस या सम्मन नहीं दिया गया है। अनावेदकगण को बटवारे की कोई जानकारी नहीं थी। बटवारा आदेश की जानकारी दिनांक 23–8–12 को प्राप्त हुई, इसलिये विलम्ब को सदभाविक मानने में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई गलती नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत धारा 5 के आवेदनपत्र में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थीगण / प्रतिप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 23–8–12 को हुई, जब रिस्पो. / आवेदकगण ने तारों की फेन्सिंग जबरजस्ती कर ली और अपीलार्थीगण / अनावेदकगण की बारी को हटा दिया तब हल्का पटवारी से सम्पर्क करके न्यायालय में आकर नकल का आवेदनपत्र अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करके लगाया तब नकल दिनांक 29–8–12 को सत्य–प्रतिलिपि प्राप्त हुई। अपने कथन के समर्थन में श्रीमती हेमलता व्दारा शपथपत्र भी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत

किया गया है। तहसील न्यायालय में उपलब्ध खसरा पंचसाला वर्ष 2010–11 की प्रति में राकेश कुमार, श्रीमती पिंकी यादव एवं श्रीमती रामाबाई सहभूमिस्वामी अभिलिखित है। फर्द बटवारा में भी राकेश कुमार, रामाबाई एवं पिंकी को भूमि बटवारे में दिये जाने का पटवारी ने लेख किया है, किन्तु फर्द बटवारे में उनके सहमति के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही पटवारी व्दारा उनकी उपस्थिति अंकित की गयी है। तहसील में राकेश पुत्र गोकुल प्रसाद को अनावेदक क0–2 बनाया गया है, किन्तु तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व अनुसूची–1 के नियम 4 से 7 के अनुसार राकेश पुत्र गोकुल प्रसाद को सूचनापत्र तामील करने का कोई प्रमाण नहीं है। तहसीलदार व्दारा आदेश पत्रिका दिनांक 19–12–11 में यह अंकित किया है कि –

"प्रकरण पेश। आवेदक अभि. उपस्थित। उन्होंने व्यक्त किया कि अनावेदकगण को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दी गयी है। रसीद पेश करें। प्रतीक्षा हों। सी.एफ. 24–12–11"

उक्त रजिस्टर्ड पोस्ट के आधार पर राकेश के विरूध्द दिनांक 24–12–11 को तहसीलदार व्दारा एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं जिसे विधि अनुकूल होना नहीं माना जा सकता क्योंकि सर्वप्रथम अनुसूची–1 के नियम 4 से 7 के अनुसार सूचनापत्र की तामीली की जाना चाहिये थी और इस प्रकार सूचनापत्र तामील नहीं होने पर रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचनापत्र तामील की जाना आवश्यक हो तो न्यायालय व्दारा ही सूचनापत्र पक्षकार के व्यय पर तामीली हेतु भेजे जाना चाहिये। पक्षकार के व्दारा सूचनापत्र रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाने के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करना विधिसंगत नहीं है। ऐसी दशा में तहसीलदार के आदेश की जानकारी नहीं होने से जानकारी के दिनांक से अपील समयावधि में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। बटवारे आदेश सभी सहखातेदारों के सहमति से तहसीलदार व्दारा पारित नहीं किया गया है, इस कारण तहसीलदार का आदेश सहमति आदेश होना मान्य नहीं किया जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12–12–2012 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0